फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

हरिनारायण बनाम मुन्नीदेवी

प्रार्थना पत्र संख्या 179/2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19.12.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को एवं अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुऐ उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 530, 539, 540, 541, 542, 943, 944 कुल किता 7 कुल रकबा 1.0800 हैक्ट. स्थित ग्राम गढ पटवार हल्का गढ भू.अ.नि. तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर पर उभयपक्ष मूलवाद संख्या 204/2024 हरिनारायण बनाम मुन्नीदेवी के निर्णय तक विवादित आराजी पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो। **सहायक कलक्टर** **बस्सी, जयपुर ग्रामीण**	